



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1402]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2015/आषाढ़ 10, 1937

No.1402]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2015/ASHADHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015

का.आ. 1783(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उपधारा (1)के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174(अ) तारीख 18 जुलाई, 2007 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"127	मैसर्स वरदान इन्वायरोलेब, सेक्टर-51, समसपुर, एमेटी स्कूल के सामने, गुडगांव-122001 (हरियाणा)	(1) श्री एस.के. शर्मा (2) श्री राजेन्द्र सिंह यादव (3) श्री गौरव प्रताप सिंह	30.06.2015 से 29.06.2020" ;

[फा. सं. क्यू-15018/23/2013-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार